जारी करने वाले के हस्ताक्षर ....
पत्रांक दिनांक 17.3.2021
प्रार्थी श्री रतनसिंह ....
तैयारी का दि० 17.3.2021
टिकट सं०/रु० 13-00
जारी का दि० 17.3.2021

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :बरेली,जनपद :शाहजहापुर,तहसील :पुवायाँ
वाद संख्या :-00494/2021
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202112610200494
डी0 राममनोहर लोहिया बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

नकल

निर्णय

प्रस्तुत वाद डा0 राममनोहर लोहिया वेलफेयर सोसाइटी मो0 कसमरा आढत कस्बा व तहसील पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर द्वारा अन्तर्गत धारा 80 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत वाद योजित किया गया जिसमें ग्राम कुंवरपुर परगना बडागांव तहसील पुवायाँ की गाटा सं0 168/0.789 को अकृषक घोषित किये जाने की याचना की गयी है नियमानुसार वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार पुवायाँ से जाँच आख्या प्राप्त की गयी।

तहसीलदार पुवायाँ ने अपनी जाँच आख्या दिनाँक–05.03.2021 में उल्लेख किया है कि ग्राम कुंवरपुर परगना बडागांव तहसील पुवायाँ की गाटा सं0 168/0.789 हे0 वर्तमान खतौनी 1428–1433 फसली संक्रमणीय भूमिधर श्रेणी 1क डा0 राममनोहर लोहिया वेलफेयर सोसाइटी मो0 कसमरा आढत तहसील पुवायाँ के नाम दर्ज है। प्रश्नगत गाटा सं0 168/0.789 खाली पडा है जिस पर छात्रावास बनना प्रस्तावित है। वर्तमान में गाटा सं0 168/0.789 पर कोई कृषि कार्य, कुक्कुट पालन तथा मत्स्य पालन नही हो रहा है, जिसे उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(2)के प्राविधानों के अन्तर्गत अकृषक घोषित किये जाने की आख्या प्रस्तुत की गयी है।

मैनें पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया एवं पत्राववली पर रक्षित ग्राह्य साक्ष्यों एवं तहसीलदार पुवायाँ की आख्या दिनाँक–05.03.2021 का परिशीलन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम कुंवरपुर परगना बडागांव तहसील पुवायाँ की गाटा सं0 168/0.789 हे0 वर्तमान खतौनी 1428–1433 फसली संक्रमणीय भूमिधर श्रेणी 1क डा0 राममनोहर लोहिया वेलफेयर सोसाइटी मो0 कसमरा आढत तहसील पुवायाँ के नाम दर्ज है। प्रश्नगत गाटा सं0 168/0.789 खाली पडा है जिस पर छात्रावास बनना प्रस्तावित है। वर्तमान में गाटा सं0 168/0.789 पर कोई कृषि कार्य, कुक्कुट पालन तथा मत्स्य पालन नही हो रहा है, इस कारण भूमि को राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(2) मे दिये गये प्राविधानों के आधार पर वादग्रस्त भूमि को अकृषक किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। आवेदक द्वारा नियमानुसार देय धनराशि अंकन 29,982/–(उन्तीस हजार नौ सौ बयासी रूपये मात्र) भारतीय स्टेट बैंक शाखा पुवायाँ में चालान सं0 सी0ए0 00047 दिनाँक 10.03.2021 व 1 प्रतिशत देय ई0 स्टाम्प शुल्क अंकन 29,982/–रूपये दिनाँक 10.03.2021 प्रस्तुत किया है, भूमि अकृषिक किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः तहसीलदार पुवायाँ की जाँच आख्या दिनाँक 05.03.2021 के आधार पर ग्राम कुंवरपुर परगना बडागांव तहसील पुवायाँ की वर्ष खतौनी 1428–1433 की खाता सं0 00051 पर गाटा सं0 168/0.789 मालगुजारी 60ख के अनुसार डा0 राममनोहर लोहिया वेलफेयर सोसाइटी मो0 कसमरा आंढत कस्बा व तहसील पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर को अकृषिक घोषित किया जाता है। अन्य अधिनियमों के प्राविधानों का इस पर कोई प्रभाव नही होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु उपयोग में किया जाता है तो तहसीलदार तत्काल आख्या प्रस्तुत करेंगे, परन्तु आदेश की घोषणा से 5 वर्ष की अवधि के अन्दर यदि भूमिधर द्वारा प्रस्तावित गैर कृषि सम्बन्धी गतिविधि प्रारम्भ करने में विफल रहता है तो उ0प्र0 राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2019 की धारा 80(2) के प्राविधानों के अन्तर्गत जोत या उसके आंशिक भाग की घोषणा व्यपगत हो जायेगी। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य कभी भी अविधिक पाये जाने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। आदेश की प्रति अभिलेखों में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पुवायाँ को भेजी जाये एवं आदेश की एक प्रति उप निबन्धक पुवायाँ भी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनाँक--

(सतीश चन्द्र)
उप जिलाधिकारी
पुवायाँ शाहजहाँपुर।

सत्य प्रतिलिपि
प्रमाणित
17/03/2021

उप जिलाधिकारी पुवायाँ-शाहजहाँपुर

पृष्ठ संख्या :

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :बरेली,जनपद :शाहजहांपुर,तहसील :पुवायाँ
वाद संख्या :-04201/2018
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201812610204201
डा0 राममनोहर लोहिया वेलफेयर सोसाइटी दवारा संजय कुमार गुप्ता बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर पुवायाँ शाहजहाँपुर

वाद सं0

अन्तर्गत धारा 80 राजस्व संहिता वर्ष 2006
ग्राम– कुंवरपुर
परगना बडागांव तहसील पुवायाँ

डा0 राममनोहर लोहिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संजय कुमार गुप्ता बनाम सरकार

अन्तिम निर्णय

प्रस्तुत वाद संजय कुमार गुप्ता पुत्र मथुरा प्रसाद गुप्ता निवासी मो0 कसभरा आढत कस्बा व तहसील पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर ने धारा 80 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया है कि ग्राम कुंवरपुर परगना बडागांव तहसील पुवायाँ की गाटा सं0 167/1.307 हे0 मे से 0.621 हे0 भूमि को अकृषक एवं लगान मुक्त घोषित किये जाने की याचना की गयी है नियमानुसार वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार पुवायाँ से जाँच आख्या मंगाई गयी।

तहसीलदार पुवायाँ ने अपनी जाँच आख्या दिनाँक–13.08.2018 में उल्लेख किया गया है कि ग्राम कुंवरपुर परगना बडागांव तहसील पुवायाँ की गाटा सं0 167/1.307 हे0 मे से 0.621 हे0 पर डा0 राममनोहर लोहिया वेलफेयर सोसाइटी की विल्डिंग निर्माणाधीन है तथा आठ फिट ऊँची पक्की दीवार से घिरा है। जिस पर कृषि कार्य नही हो रहा है, जिसे राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के प्राविधानों के अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि को अकृषक एवं लगान मुक्त घोषित किया जाने के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत की गयी है।

मैनें पत्रावली पर रक्षित ग्राह्य साक्ष्यों का अवलोकन किया एवं तहसीलदार पुवायाँ की आख्या दिनाँक–13.08.2018 का परिशीलन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम कुंवरपुर परगना बडागांव तहसील पुवायाँ की गाटा सं0 167/1.307 हे0 मे से 0.621 हे0 पर डा0 राममनोहर लोहिया वेलफेयर सोसाइटी की विल्डिंग निर्माणाधीन है तथा आठ फिट ऊँची पक्की दीवार से घिरा है। भूमि पर कृषि कार्य नही हो रहा है, इस कारण भूमि को राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के प्राविधानों के अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि को अकृषक एवं लगान मुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार पुवायाँ की आख्या दिनाँक–13.08.2018 के आधार पर निम्न आदेश दिया जाता है:–

आदेश

अतः न्यायहित में ग्राम कुंवरपुर परगना बडागांव तहसील पुवायाँ की गाटा सं0 167/1.307 हे0 मे से 0.621 हे0 को धारा 80 राजस्व संहिता 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत अकृषक एवं लगान मुक्त घोषित किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार पुवायाँ को भू अभिलेखों में अमल दरामद हेतु प्रेषित की जाये तथा एक प्रति सव रजिस्ट्रार पुवायाँ को पंजीकरण हेतु प्रेषित की जाये। वाद आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनाँक– 20/8/18

असिस्टेंट कलेक्टर
पुवायाँ शाहजहाँपुर
20/8/2018

21-8-18

पृष्ठ संख्या :